

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

File No. : LAW-42015/1969/2025-UAD
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 25/08/2025

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
छत्तीसगढ़।

विषय :- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों स्थित सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान आदि पर पंडालो/अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति हेतु दिशा निर्देश।

—00—

राज्य शासन द्वारा, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों स्थित सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान आदि पर पंडालो/अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के संबंध में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध हेतु आवश्यक प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2/ अतएव, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संलग्न दिशा-निर्देश अनुसार समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- दिशा-निर्देश।


(अजय तिकी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

//2//

पृ. File No. : LAW-42015/1969/2025-UAD नवा रायपुर,, दिनांक 25/08/2025
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.।
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

**छत्तीसगढ़ नगरपालिका सडकों, फुटपाथो आदि पर पंडालों/अस्थाई
सरंचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली के अनुमति हेतु
दिशा निर्देश 2025**

—00—

पंडालों/अस्थाई सरंचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली के अनुमति हेतु निम्न दो
श्रेणी हेतु पृथक-पृथक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव एवं 5000 हजार वर्ग फिट के स्थान वाले आयोजन।
2. एक समय में 500 सौ से अधिक व्यक्तियों तक के ठहराव एवं 5000 हजार वर्ग फिट से अधिक के स्थान वाले आयोजन।

एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव एवं 5000 हजार वर्ग फिट के स्थान वाले आयोजन हेतु दिशा-निर्देश

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 1961 की धारा 223 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा **एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव एवं अधिकतम 5000 हजार वर्ग फिट तक के स्थान वाले पंडाल/अस्थाई संरचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली के अनुमति हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।**

1. अनुमति की प्रक्रिया:-

कोई भी व्यक्ति, संस्था, समिति या संगठन किसी सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान पर पंडाल या अस्थायी संरचना/धरना/जुलूस/सभा/रैली बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा।

अनुमति "निर्धारित प्रारूप" में तिथि, समय, स्थान एवं शर्तों के पूर्णतः पालन का आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। उक्त आवेदन में आयोजन की तिथि, समय, स्थान, उद्देश्य, मानचित्र, सुरक्षा योजना और स्वच्छता व्यवस्था का उल्लेख अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

संबंधित निकायों को आयोजन हेतु आवेदन कम-से-कम "07 दिवस पूर्व" निर्धारित प्रारूप-A में प्रस्तुत किया जाना होगा। सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी) इस हेतु चाहे तो अन्य विभाग से एनओसी प्राप्त कर सकेगा। निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन का निराकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निराकरण किया जाना आवश्यक होगा। अनुमति पत्र प्रारूप B में जारी किया जायेगा।

- 2. अनुमति हेतु शुल्क :-**पंडालो/अस्थाई संरचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली हेतु अनुमति शुल्क निकाय के द्वारा निर्धारित अनुसार विहित नियमों के तहत अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 3. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली/शोभायात्राओं की अनुमति हेतु आपातकालीन निर्देश:-**आपातकालीन स्थिति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियम एवं शर्तों अधिरोपित कर पाने हेतु सक्षम होंगे।
- 4. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली/शोभायात्राओं की अनुमति हेतु सामान्य निर्देश:-**पंडालो/अस्थाई संरचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली/शोभा यात्राओं के निर्माण में निम्न उल्लेखित बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए।

1. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं को स्थिर, सुरक्षित एवं यथासंभव अग्निरोधी सामग्री से बनाया जाना होगा।
2. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं हेतु अनुमति प्रदान करते हुए यथासंभव मुख्य सड़क या चौराहे में यह अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी यदि प्रदान की जाती है तो उक्त हेतु वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयोजन समिति/आयोजक का यह अनिवार्य दायित्व होगा की आयोजन समाप्ति के पश्चात तत्काल स्थल पर साफ-सफाई करावे।
4. आयोजन समिति द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के परामर्श से अस्थायी शौचालयों, जलापूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जावे।
5. किसी भी पंडाल का निर्माण विद्युत तारों के ठीक नीचे नहीं किया जाएगा।
6. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति के बावजूद आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी समय दिये गये अनुमति को सकारण निरस्त कर सकेगा।
7. पंडालों में आयोजित होने वाले किसी विशिष्ट आयोजनों हेतु सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की सहमति से जोड़ सकेंगे साथ ही शासन के विभिन्न विभागीय अधिनियम, नियमों एवं समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

एक समय में 500 सौ से अधिक व्यक्तियों तक के ठहराव एवं 5000 हजार वर्ग फिट से अधिक के स्थान वाले आयोजन हेतु दिशा निर्देश

आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा एक समय में 500 सौ व्यक्तियों से अधिक के ठहराव वाले एवं 5000 हजार वर्ग फिट से अधिक स्थान के पंडाल/अस्थायी संरचनाओं/धरना/जुलूस/सभा/रैली के अनुमति हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है।

1. अनुमति की प्रक्रिया:-

कोई भी व्यक्ति, संस्था, समिति या संगठन किसी खुले सार्वजनिक मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान पर पंडाल या अस्थायी संरचना/धरना/जुलूस/सभा/रैली बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा।

अनुमति "निर्धारित प्रारूप" में तिथि, समय, स्थान एवं शर्तों का पूर्णतः पालन का आवेदन/स्वघोषणा पत्र देकर प्राप्त की जा सकेगी। उक्त आवेदन में आयोजन की तिथि, समय, स्थान, उद्देश्य, मानचित्र, सुरक्षा योजना और स्वच्छता व्यवस्था का उल्लेख अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

संबंधित निकायों को आयोजन हेतु आवेदन कम-से-कम "07 दिवस पूर्व" निर्धारित प्रारूप-C में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ - अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व विभाग), थाना प्रभारी (पुलिस विभाग), जिला सेनानी होमगार्ड (अग्निशमन), कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत विभाग) से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन का निराकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निराकरण किया जाना आवश्यक होगा। अनुमति पत्र प्रारूप D में जारी किया जायेगा।

2. अनुमति हेतु शुल्क :-पंडाल या अस्थायी संरचना/धरना/जुलूस/सभा/रैली हेतु अनुमति शुल्क निकाय के द्वारा निर्धारित अनुसार विहित नियमों के तहत अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ दिया जाना अनिवार्य होगा।

3. पंडाल/अस्थायी संरचना/रैली/शोभायात्राओं की अनुमति हेतु आपातकालीन निर्देश:-

1. आयोजन स्थल में आपातकालीन निर्गमन मार्ग तथा प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक होगा।
2. महामारी अथवा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देश अनुषांगिक विभाग द्वारा जारी किया जाता है तो आयोजन समिति या आवेदक को उक्त शर्तों का पालन अनिवार्य होगा चाहे आयोजन समिति या आवेदक को अनुमति प्राप्त हो गई हो एवं उक्त शर्तों का उल्लेख ना भी हो।

3. आयोजन समिति/आयोजक समस्त प्रचलित विधियों, नियमों एवं अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों के पालन हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगी।
4. सभी पंडालों में आपातकालीन निकास के संकेत, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन सेवा तथा चिकित्सकीय सहायता हेतु संपर्क सूत्रों के लिए स्थानीय भाषा में स्पष्ट एवं पठनीय संकेतक प्रदर्शित किए जाएंगे।
5. आयोजन समिति का यह दायित्व होगा कि मार्गों एवं निकास द्वारों पर पर्याप्त रूप से प्रकाश व्यवस्था हो।
6. सभी पंडालों में विद्युत आपूर्ति हेतु बैकअप व्यवस्था (जैसे जनरेटर या इन्वर्टर) की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।
7. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं के आयोजन स्थलो पर "फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा किट" अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे। इस हेतु आमजनो के आसानी से उपलब्धता एवं पहचान हेतु स्थानीय भाषा में पट्टीकाओं एवं संकेत को लगाया जाना अनिवार्य होगा।
8. अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हेतु आयोजन समिति का दायित्व होगा कि नगरीय निकाय के समन्वय से आयोजन स्थल/विसर्जन कुण्डो/कृत्रिम टैंकों में विसर्जन के बाद बचे हुए फूल, कपड़े, माला, अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री आदि के वैज्ञानिक रीति से निपटान कि उचित व्यवस्था करें।
9. किसी राजनैतिक/सामाजिक/धार्मिक/निजी शोभायात्राएँ/रैली/जूलूस निर्धारित समयावधि के भीतर ही सम्पन्न की जाएँगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं प्रक्रिया-निर्देशों के अनुरूप ही आयोजित की जाएँगी। यह आयोजक/आयोजन समिति का दायित्व होगा कि ऐसी शोभायात्राएँ/रैली/जूलूस सुव्यवस्थित रूप में संचालित हों, जिससे यातायात में व्यवधान ना हो तथा लोक व्यवस्था सुसंगत रूप से बिना किसी बाधा के संचालित रह सके।
10. किसी भी राजनैतिक/सामाजिक/धार्मिक/निजी शोभायात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा जनसमूह प्रबंधन की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन के समन्वय से सुनिश्चित की जानी अनिवार्य होगी।
- 4. पंडाल/अस्थाई संरचना/रैली/शोभायात्राओं की अनुमति हेतु सामान्य निर्देश:-**
पंडालों/ अस्थाई संरचनाओं/रैली/ शोभायात्राओं में निम्न उल्लेखित बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए।
 1. **पंडालों/अस्थाई संरचनाओं को** स्थिर, सुरक्षित एवं यथासंभव अग्निरोधी सामग्री से बनाया जाना होगा।
 2. उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले पंडालों की संरचना अनिवार्य रूप से अग्निरोधक सामग्री से की जानी चाहिए।

3. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं हेतु अनुमति प्रदान करते हुए यथासंभव मुख्य सड़क या चौराहे में यह अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी यदि प्रदान की जाती है तो उक्त हेतु वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. पंडालों में आयोजित होने वाले किसी विशिष्ट आयोजनों हेतु सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की सहमति से जोड़ सकेंगे साथ ही शासन के विभिन्न विभागीय अधिनियम, नियमों एवं समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. यह आयोजन समिति का उत्तरदायित्व होगा कि सम्पूर्ण आयोजन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जो राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक सौहार्द्र, विधि एवं व्यवस्था अथवा सार्वजनिक शांति में विघ्न उत्पन्न करता हो।
6. आयोजन समिति/आयोजक का यह अनिवार्य दायित्व होगा की आयोजन समाप्ति के पश्चात तत्काल स्थल पर साफ-सफाई करावे एवं स्थल को मूल स्वरूप में लाए, किसी भी प्रकार की संरचना, खुदाई को स्थाई ना रखे जिससे कि भविष्य में किसी दुर्घटना या अप्रिय स्थिति निर्मित हो या धार्मिक दावों के रूप में इस्तेमाल किया जाये।
7. किसी भी परिस्थिति में पंडालों में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। साथ ही पंडाल ऐसे स्थानों पर स्थापित नहीं किए जाएंगे, जहाँ यातायात, आपातकालीन पहुंच या सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में अवरोध उत्पन्न हो।
8. आयोजन समिति द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के परामर्श से अस्थायी शौचालयों, जलापूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी। इस हेतु आयोजन समिति संसाधना की उपलब्धता के अनुसार निकाय से सशुल्क सहयोग प्राप्त कर सकेगी।
9. पंडालों/अस्थाई संरचना में लोक सुरक्षा के दृष्टि कोण से यथासंभव सी.सी.टी.वी कैमरे स्थापित किए जाएँ।
10. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री जैसे सूखी घास, बिना अग्निरोधक उपचार वाला पतला वस्त्र तथा अत्यधिक प्लास्टिक सजावट का प्रयोग यथासंभव न्यूनतम किया जाए।
11. पंडालों की संरचना इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि वह अपेक्षित वायु-दाब एवं आगंतुकों के दबाव को सहन करने में सक्षम हो। जटिल या विशाल संरचनाओं के लिए निकायो द्वारा संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र लिया जाना होगा।

- 12 पंडालों/अस्थाई संरचनाओं हेतु धातु के ढांचे आदि के माध्यम से मजबूत सहारा प्रणाली का निर्माण किया जाए, जिसमें समुचित ब्रेसिंग (Bracing) एवं एंकरिंग(Anchoring) हो। आयोजन समिति द्वारा नियमित रूप से स्थायित्व परीक्षण किया जाना अपेक्षित होगा।
- 13 किसी भी पंडाल का निर्माण विद्युत संचरण तारों के ठीक नीचे नहीं किया जाएगा। विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुसार क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दूरी का पालन किया जाना होगा।
- 14 पंडाल की परिधि में स्थित अन्य भवनों से न्यूनतम 4.5 मीटर (लगभग 15 फीट) की खुली दूरी सुनिश्चित की जाए, जिससे आपातकालीन स्थिति में निर्बाध आवागमन संभव हो।
- 15 आयोजन समिति का यह दायित्व होगा कि आयोजन स्थल पर समुचित संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाए, जो जनसमूह को आवश्यक संचालन एवं निर्देश दे सके जिससे आयोजन स्थल पर अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो।
- 16 उपर्युक्त दिशा-निर्देशों, शर्तों अथवा प्रचलित विधियों का कोई भी उल्लंघन आयोजन समिति को विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय बनाएगा।
- 17 उन मार्गों में पंडाल/एवं अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति नहीं होगी जिन मार्गों हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं।
- 18 पंडालों/अस्थाई संरचनाओं के आयोजन समिति के सदस्यों की सूची/आयोजकों का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।
- 19 आयोजन समिति/आयोजक को अपने आयोजन हेतु नियुक्त स्वयंसेवकों को पहचानपत्र जारी कराना आवश्यक होगा।
20. आयोजन समिति एवं आयोजकों को आयोजन के आवेदन में आयोजन के उद्देश्य को बताया जाना आवश्यक होगा।
21. आयोजन समिति को स्पष्ट एवं दृष्टिगोचर स्थान पर पंडाल का मैप (Layout Map) दर्शाना आवश्यक होगा।
22. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं के स्थापना में यथासंभव पार्किंग हेतु स्थान सुरक्षित/चिह्नांकित किया जाना आवश्यक होगा।
- 23 पंडालों/अस्थाई संरचनाओं के स्थापना में अनिवार्य रूप से इस बात का ध्यान रखा जावे कि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति को क्षति/हानि ना पहुंचाई जाए। किसी भी प्रकार के क्षति की स्थिति में निकाय को यह अधिकार होगा कि उक्त क्षति के बराबर राशि की वसूली आयोजक/आयोजन समिति से कर सके।

- 24 सक्षम प्राधिकारी इन शर्तों के अधीन स्थानीय आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था को देखते हुए अन्य ऐसे शर्तों का समावेश कर सकेगा जो विधि अनुकूल हो।
- 25 आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति के बावजूद आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी समय दिये गये अनुमति को सकारण निरस्त कर सकेगा।
- 26 सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की सहमति से जोड़ सकेंगे।

प्रारूप A

**धरना/जुलूस/सभा/रैली या अन्य आयोजन की अनुमति हेतु
आवेदन पत्र**

(एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव)

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत

1. आयोजक व्यक्ति/संस्था का नाम
2. आयोजन/प्रदर्शन का स्वरूप
(कार्यक्रम/धरना/रैली/धरना पश्चात ज्ञापन/धरना पश्चात रैली पश्चात ज्ञापन)
3. आयोजन/प्रदर्शन/रैली/का दिनांक व समय.....से तक
4. आयोजन/प्रदर्शन का स्थल.....
5. रैली/शोभायात्रा है तो कहां से कहां तक.....
(रूट चार्ट सहित देना अनिवार्य होगा।)
6. आयोजन का उद्देश्य
7. आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
8. आयोजन में प्रयुक्त ध्वनि विस्तार यंत्रों की संख्या एवं प्रकार.....(पृथक से सक्षम अनुमति प्राप्त की जावेगी।)
9. आपात स्थिति हेतु आयोजन समिति के कम से कम 05 सदस्यों/सदस्यों का नाम एवं फोन न. /निजी कार्यक्रमों हेतु प्रमुख आयोजक का नाम एवं फोन न.
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

आयोजक/आयोजन समिति का नाम

स्वघोषणा

मैं पिता का नाम पता.....आयोजन समिति/संस्था का नाम.....मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आयोजन हेतु वैध अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है/किया जावेगा। मेरे इस आयोजन से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं शासन द्वारा अन्य प्रचलित नियमों संबंधी अनुमति हमारे द्वारा लिया जायेगा। उपरोक्त आयोजन से संबंधित जिम्मेदारी हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम निम्नानुसार है।

नाम:-.....

पिता का नाम:-.....

पता:-.....

मोबाईल नंबर:-.....

स्व घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर ,पता एवं मो0न0

प्रारूप B

धरना/जुलूस/सभा/रैली या अन्य आयोजन की अनुमति पत्र का प्रारूप
(एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव)

प्रति

विषय:-अनुमति पत्र ।

संदर्भ:-आपका आवेदन क्रमांक

आपके द्वारा दिये गये आवेदन पर सभा/आयोजन/जुलूस/रैली/शोभायात्रा/धरना की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है

1. आयोजन का स्थल.....होगा।
2. आयोजन/रैली का दिनांक एवं समय से होगा।
3. आयोजन में शामिल होने वालों की एक समय में अधिकतम संख्या होगी
4. रैली का आयोजन.....से तक, दिनांक समय से होगा
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
10. उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा
11. यह अनुमति शर्तों के उल्लंघन पर बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।
12. अद्योहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी वक्त संज्ञान में आता है कि यह आयोजन लोक शांति/कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है तो बिना पूर्व सूचना के अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. कलेक्टर महोदय
2. पुलिस अधीक्षक
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी
4. तहसीलदार
5. जिला कमाण्डेंट होमगार्ड
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7. कार्यपालन अभियंता लोकनिर्माण विभाग
8. प्रभारी अधिकारी पुलिस यातायात
9. भवन अधिकारी नगर पालिका/निगम

प्रारूप C

धरना/जुलूस/सभा/रैली या अन्य आयोजन की अनुमति हेतु
(एक समय में 500 सौ व्यक्तियों से अधिक के ठहराव वाले)

आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत

1. आयोजक व्यक्ति/संस्था का नाम
2. आयोजन/प्रदर्शन का स्वरूप
- (धरना/रैली/धरना पश्चात ज्ञापन/धरना प्रश्चात रैली पश्चात ज्ञापन)
3. आयोजन/प्रदर्शन/रैली/का दिनांक..... व समय..... से तक
4. आयोजन/प्रदर्शन का स्थल.....
5. रैली/शोभायात्रा है तो कहाँ से कहाँ तक.....
(रूट चार्ट सहित देना अनिवार्य होगा।)
6. आयोजन का उद्देश्य
7. आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
8. आयोजन में प्रयुक्त ध्वनि विस्तार यंत्रों की संख्या एवं प्रकार..... (पृथक से सक्षम अनुमति प्राप्त की जावेगी।)
9. आयोजन में शामिल लोग कहा-कहा से आयेगें.....
10. देश से बाहर से आने वाले लोगों की सूची उपलब्ध करावे.....
11. कौन से कौन से वाहन/साधन का उपयोग शोभायात्रा/रैली एवं आयोजन स्थल पर होगा संख्यात्मक पृथक पृथक देवे।
12. शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन का शपथ पत्र सलग्न करे:-.....
13. आपात स्थिति हेतु आयोजन समिति के कम से कम 05 सदस्य/सदस्यों का नाम एवं फोन न. निजी कार्यक्रमों हेतु प्रमुख आयोजना का नाम एवं फोन न.
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र सलग्न करे:-
 - 1 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (अनुविभागीय दण्डाधिकारी)
 - 2 पुलिस एवं यातायात (पुलिस विभाग)
 - 3 जिला सेनानी (अग्निशमन विभाग)
 4. कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत विभाग)

आयोजक/आयोजन समिति का नाम

स्वघोषणा:-

मैं पिता का नाम पता.....आयोजन समिति/संस्था का नाम.....मैं घोषणा कराता हूँ कि मेरे द्वारा इस आयोजन हेतु वैध अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है/किया जावेगा। मेरे इस आयोजन से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं शासन द्वारा अन्य प्रचलित नियमों संबंधी अनुमति हमारे द्वारा लिया जायेगा। उपरोक्त आयोजन से संबंधित जिम्मेदारी हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम निम्नानुसार है।

नाम:-.....

पिता का नाम:-.....

पता:-.....

मोबाईल नंबर:-.....

स्व घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर, पता एवं मो0न0

आयोजक/आयोजन समिति का नाम

प्रारूप D

धरना/जुलूस/सभा/रैली या अन्य आयोजन की अनुमति पत्र का प्रारूप
(एक समय में 500 सौ व्यक्तियों से अधिक के उहाराव वाले)

प्रति

.....
.....
विषय:-अनुमति पत्र

संदर्भ:-आपका आवेदन क्रमांक

आपके द्वारा दिये गये आवेदन पर सभा/आयोजन/जुलूस/रैली/शोभायात्रा/धरना की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है

1. आयोजन का स्थल.....होगा।
2. आयोजन का समय से होगा।
3. आयोजन में शामिल होने वालों की एक समय में अधिकतम संख्या होगी
4. रैली दिनांक..... को समय से होगी
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
10. उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा
11. यह अनुमति शर्तों के उल्लंघन पर बिना पूर्व सूचना के अनुमति निरस्त की जा सकेगी।
12. अद्योहस्ताक्षर कर्ता को किसी भी वक्त संज्ञान में आता है कि यह आयोजन लोक शांति/कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है तो बिना पूर्व सूचना के अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

कलेक्टर महोदय

पुलिस अधीक्षक

अनुविभागीय दण्डाधिकारी

तहसीलदार

जिला कमाण्डेंट होमगार्ड

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग

प्रभारी अधिकारी पुलिस यातायात

भवन अधिकारी नगर पालिका/निगम